

पंचकर्म केन्द्र योजना हेतु बजट आवंटन

शासन उपसचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक:प.18(6)आयु./2016 दिनांक 23-05-16 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय में नये पंचकर्म केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन चिकित्सालयों में पंचकर्म केन्द्र खोलने हेतु बजट मद 2210-04-796-(01)-[01]-आयोजना व्यय में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जाता है:-

(राशि लाखों में)

कार्यालय कोड नम्बर	पंचकर्म केन्द्र का नाम	आहरण एवं वितरण अधिकारी	18-मशीनरी और साज सामान/औजार एवं संयंत्र	60-भैषज और औषधियाँ
12752	राज.आयु.औष. कांकरोली राजसमन्द	जि.आ.अ. राजसमन्द	2.00	1.00
15810	राज.आयु.चिकि. एक छत-बाडमेर	जि.आ.अ. बाडमेर	2.00	1.00
7127	राज. जिला आयु. चिकि. भीलवांडा	राज. जिला आयु. चिकि. भीलवांडा	2.00	1.00
2669	राज.आयु.'अ'श्रेणी चिकि. सिटी भरतपुर	राज.आयु.चिकि. भरतपुर	2.00	1.00
4199	राज.आयु.चिकि. बालचन्द का पाडा-बूंदी	राज.आयु.चिकि. बूंदी	2.00	1.00
11931	राज.आयु.जिला चिकि. जैसलमेर	राज.आयु.जिला चिकि. जैसलमेर	2.00	1.00

- उपरोक्तानुसार राशि का व्यय सम्बन्धित नियमों/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जावे।
- प्रस्तावित केन्द्रों का संचालन उपलब्ध मैनपावर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर से कराया जाना सुनिश्चित करावे।
- प्रावधित राशि का उपयोग आर.टी.पी.पी. एक्ट/रूल्स के प्रावधानों, नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए उपलब्ध प्रावधान की सीमान्तर्गत ही कराया जाना सुनिश्चित करावे। आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।


वित्तीय सलाहकार,
दिनांक: 3/6/16

क्रमांक:प.2/लेखा-1/यो./बजट/2016-17/12449-62
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- शासन उपसचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
- सम्बन्धित आहरण एवं वित्तरण अधिकारी
- उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग उदयपुर/कोटा/अजमेर/जोधपुर/भरतपुर।
- प्रभारी, सांख्यिकी/लेखा-4, कार्यालय हाजा।

5 प्रभारी इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्द्रों के आवंटन हेतु


वित्तीय सलाहकार,

राजस्थान सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

क्रमांक:प.2 / लेखा-1 / यो. / बजट / 2016-17 / 12463-71

दिनांक: 3/6/16

पंचकर्म केन्द्र योजना हेतु बजट आवंटन

शासन उपसचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक:प.18(6)आयु./2016 दिनांक 23-05-16 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय/राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय में नये पंचकर्म केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन चिकित्सालयों में पंचकर्म केन्द्र खोलने हेतु बजट मद 2210-02-101-(02)-[01]-आयोजना व्यय में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जाता है:-

(राशि लाखों में)

कार्यालय कोड नम्बर	पंचकर्म केन्द्र का नाम	आहरण एवं वितरण अधिकारी	18-मशीनरी और साज सामान/औजार एवं संयंत्र	60-भैषज और औषधियाँ
18870	राज. आयु. जिला चिकि. जालौर	राज. जिला आयु. चिकि. जालौर	2.00	1.00
19267	राज.आयु.चिकि. करौली	राज.आयु.चिकि. करौली	2.00	1.00
17577	राज. आयु. चिकि.आंवा-टौंक	जिला आयु. अधिकारी, टौंक	2.00	1.00

- उपरोक्तानुसार राशि का व्यय सम्बन्धित नियमों/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जावे।
- प्रस्तावित केन्द्रों का संचालन उपलब्ध मैनपावर एवं इन्फ्रास्ट्रचर से कराया जाना सुनिश्चित करावे।
- प्रावधित राशि का उपयोग आर.टी.पी.पी. एक्ट/रूल्स के प्रावधानों, नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए उपलब्ध प्रावधान की सीमान्तर्गत ही कराया जाना सुनिश्चित करावे। आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।


वित्तीय सलाहकार,

क्रमांक:प.2 / लेखा-1 / यो. / बजट / 2016-17 / 12463-71

दिनांक: 3/6/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- शासन उपसचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
- सम्बन्धित आहरण एवं वित्तरण अधिकारी
- उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर/जोधपुर/भरतपुर।
- प्रभारी, सांख्यिकी/लेखा-4, कार्यालय हाजा।

5 प्रभारी, इन्फ्रस्ट्रचर शाखा, टौंक जिला चिकित्सालय


वित्तीय सलाहकार,